

राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक कोटपुतली,
जिला जयपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. संतोष देवी पत्नी श्री मालचंद निवासी-टोरडा,
तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत, टोरडा, तहसील कोटपुतली,
जिला जयपुर।

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई

उप-राजकीय अभिभाषक

श्री वी.के.पारीक

अभिभाषक

अनुपस्थित

....प्रार्थी की ओर से

....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

...अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांक : 09.03.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी विभाग द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत्त द्वितीय (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 25.03.2010 प्रकरण संख्या 290/2010 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक कोटपुतली द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं. 1 श्रीमती संतोष देवी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2010 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर प्रश्नगत पट्टा विलेख का उसके निष्पादन के समय किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पंजीयन नहीं करवा सकी अब प्रश्नगत पट्टा विलेख को पूर्ण मुद्रांकित करवाना चाहती है अतः नियमानुसार मुद्रांक कर जमा किया जाकर विक्रय विलेख को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण कमी मुद्रांक का पाया जाने पर रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय में रेफर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य अधिसूचना क्रमांक प.2(26) वित्त/कर/98-45 दिनांक 22.05.03 के अनुसार

लगातार.....2

प्रतिफल राशि पर मुद्रांक कर की देयता मानते हुये पट्टा विलेख में वर्णित प्रतिफल राशि 1520/- रु पर प्रभावी 11 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर 170/- रु, शास्ति 830/- रु आरोपित करते हुये कुल 1000/- रु प्रार्थीया सं. 1 से वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरुद्ध प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं 1 की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं 2 अनुपस्थित रहे।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि निगरानीधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय विलेख तस्दीक की दिनांक प्रभावी दर के अनुसार डी.एल.सी. दर प्रार्थी से वसूल करनी चाहिये थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान डी.एल.सी. दर की राशि वसूल करने के आदेश पारित कर निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. निगरानी में प्रार्थी का मुख्य आधार यह है कि दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन दिनांक 20.05.2004 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रार्थी ने दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकित कराने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.03.2010 को प्रस्तुत किया है। इस संबंध में मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 व 36 का अवलोकन करना समीचीन है :-

35 - Adjudication as to proper stamp

(1) When any instrument, whether executed or not and whether previously stamped or not, is brought to the Collector, and the person bringing it applies to have the opinion of that officer as to the duty, if any, with which it is chargeable, and pays a fee of such amount (not exceeding fifty rupees and not less than ten rupees) as the Collector may in each case direct, the Collector shall determine the duty, if any, with which in his judgment, the instrument is chargeable.



लगातार.....3

(2) For this purpose the Collector may require to be furnished with an abstract of the instrument, and also with such affidavit or other evidence as he may deem necessary to prove that all the facts and circumstances affecting the chargeability of the instrument with duty, or the amount of the duty with which it is chargeable, are fully and truly set forth therein, and may refuse to proceed upon any such application until such abstract and evidence have been furnished accordingly: Provided that, -

(a) no evidence furnished in pursuance of this section shall be used against any person in any civil proceeding, except in an inquiry as to the duty with which the instrument to which it relates is chargeable; and

(b) every person by whom any such evidence is furnished shall, on payment of the full duty with which the instrument to which it relates, is chargeable, be relieved from any penalty which he may have incurred under this Act by reason of the omission to state truly in such instrument any of the facts or circumstances aforesaid.

(3) Where the Collector has reason to believe that the market value of the property has not been truly set forth in the instrument brought to him for determining the duty under subsection

(1) he may, after such inquiry as he may deem proper and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person bringing the instrument, determine the market value of such property for the purpose of duty.

36 - Certificate by Collector

(1) When an instrument brought to the Collector under section 35 is, in his opinion, one of a description chargeable with duty, and

(a) the Collector determines that it is already fully stamped, or

(b) the duty determined by the Collector under section 35, or such a sum as, with the duty already paid in respect of the instrument, is equal to the duty so determined, has been paid, the Collector shall certify by endorsement on such instrument that the full duty (stating the amount) with which it is chargeable, has been paid.

(2) When such instrument is, in his opinion, not chargeable with duty, the Collector shall certify in the manner aforesaid that such instrument is not so chargeable.


(3) Any instrument upon which an endorsement has been made under this section, shall be deemed to be duly stamped or not chargeable with duty, as the case may be; and, if chargeable with duty, shall be receivable in evidence or otherwise, and may be acted upon and registered as if it had been originally duly stamped:

Provided that nothing in this section shall authorize the Collector to endorse any instrument chargeable with a duty not exceeding ten paise or any bill of exchange or promissory note, when brought to him, after the drawing or execution thereof, on paper not duly stamped.

Provided further that, :

(a) any instrument executed or first executed in the State and brought to the Collector within one month of its execution or first execution, as the case may be; or

(b) any instrument executed or first executed out of State and brought to the Collector within three months after it has been first received in the State; shall be chargeable with duty as applicable at the time of its execution and where any instrument is presented to the Collector after the period specified above, such instrument shall be chargeable with duty as applicable at the time of its presentation and calculated on the basis of market value, wherever applicable, prevalent on the date of its presentation before the Collector and he may certify accordingly.



उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति समूचित स्टाम्प के बारे में निर्णय हेतु कोई दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत करता है तो वह दस्तावेज धारा 35 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया हुआ माना जायेगा। धारा 35 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के संबंध में पूर्ण मुद्रांकित की कार्यवाही धारा 36 के अनुसार की जायेगी। धारा 36 के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार यदि कोई दस्तावेज राज्य में निष्पादित होने की तिथि के एक माह बाद प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे दस्तावेज पर ऐसा शुल्क प्रर्भाय होगा जो कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करते समय लागू हो और उसकी संगणना उसे प्रस्तुत करने की तारीख को विद्यमान बाजार मूल्य के आधार पर की जायेगी। इस प्रकार विचाराधीन प्रकरण में दस्तावेज निष्पादन दिनांक 20.05.2004 पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु कलक्टर मुद्रांक के समक्ष दिनांक 22.03.2010 को प्रस्तुत किया गया है तथा कलक्टर मुद्रांक ने 22.03.2010 को बाजार दरों के आधार पर मूल्यांकन किया है जो विधिसम्मत है तथा प्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि दस्तावेज का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन के समय प्रचलित बाजार दर के आधार पर किया जाना चाहिए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 20.05.2004 के अनुसार कब्जा भी क्रेता को सम्भलवा दिया है जिससे मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21 का स्पष्टीकरण जो निम्न प्रकार है :-

Explanation - For the purpose of this article an agreement to sell an immovable property or an irrevocable power of attorney or any other instrument executed in the course of conveyance or lease e.g. allotment letters, patta, licence etc. shall, in case of transfer of the possession of such property before, at the time of or after the execution of such instrument, be deemed to be a conveyance and the stamp duty there on shall be chargeable accordingly.

के अनुसार कब्जा सम्भलवा दिये जाने के कारण ऐसा दस्तावेज विक्रय पत्र की श्रेणी में माना जायेगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इकरारनामा निष्पादन दिनांक 20.05.2004 जिसमें कब्जा भी क्रेता को सम्भलवा दिया है, को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु दस्तावेज कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष दिनांक 22.03.2010 को प्रस्तुत हुआ है जिस पर कन्वेन्स की दर से दिनांक 22.03.2010 को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुद्रांक कर आदि वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं जो विधिसम्मत है तथा इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

10. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य